



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-25062025-264142  
CG-MH-E-25062025-264142

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 458]  
No. 458]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 25, 2025/आषाढ़ 4, 1947  
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 25, 2025/ASHADHA 4, 1947

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 25 जून, 2025

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(प्रतिभूति बाजारों में सहयुक्त व्यक्तियों का प्रमाणीकरण) विनियम, 2007

के तहत अधिसूचना

फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/249.— भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजारों में सहयुक्त व्यक्तियों का प्रमाणीकरण) विनियम, 2007 के विनियम 3 के अनुसार, बोर्ड, अधिसूचना जारी करके, किसी भी प्रवर्ग के सहयुक्त व्यक्तियों (विनियमों में यथा परिभाषित) से यह कह सकेगा कि वे जरूरी प्रमाणपत्र प्राप्त करें।

- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 के विनियम 4 के खंड (छ) के उप-खंड (i) के अनुसार, बोर्ड ने 10 मई, 2024 को अधिसूचना (सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/176) जारी करके यह कहा था कि आनुकल्पिक निवेश निधि (ए.आई.एफ.) के प्रबंधक के मुख्य निवेश दल में कार्य करने वाले सहयोगी (सहयुक्त) व्यक्तियों में से कम से कम एक मुख्य व्यक्ति राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (एन.आई.एस.एम.) द्वारा 10 जनवरी, 2024 को जारी की गई विज्ञप्ति

- (सं. एनआईएसएम/सर्टिफिकेशन/सीरीज़-XIX-C:आल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर्स/2024/01) में बताई गई प्रमाणीकरण परीक्षा (“रा.प्र.बा.सं. – शृंखला-XIX-C: आनुकल्पिक निवेश निधि प्रबंधक प्रमाणीकरण परीक्षा”) उत्तीर्ण करके एन.आई.एस.एम. का प्रमाणपत्र हासिल करेगा।
2. अब, बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 के विनियम 4 के खंड (छ) के उप-खंड (i) के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजारों में सहयुक्त व्यक्तियों का प्रमाणीकरण) विनियम, 2007 के विनियम 3 के अनुसार, एतद्वारा यह अधिसूचित करता है कि:
- (i) प्रवर्ग-I की ए.आई.एफ. या प्रवर्ग-II की ए.आई.एफ. या प्रवर्ग-I और प्रवर्ग-II की ए.आई.एफ. के प्रबंधक के मुख्य निवेश दल में कार्य करने वाले सहयोगी व्यक्तियों में से कम से कम एक मुख्य व्यक्ति या तो एन.आई.एस.एम. द्वारा 10 जनवरी, 2024 को जारी की गई विज्ञप्ति (सं. एनआईएसएम/सर्टिफिकेशन/सीरीज़-XIX-C:आल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर्स/2024/01) में बताई गई प्रमाणीकरण परीक्षा (“रा.प्र.बा.सं. – शृंखला-XIX-C: आनुकल्पिक निवेश निधि प्रबंधक प्रमाणीकरण परीक्षा”) उत्तीर्ण करके या फिर एन.आई.एस.एम. द्वारा 29 अप्रैल, 2025 को जारी की गई विज्ञप्ति (सं. एनआईएसएम/सर्टिफिकेशन/सीरीज़-XIX-D: कैटेगरी I एंड II आल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर्स/2025/01) में बताई गई प्रमाणीकरण परीक्षा [“रा.प्र.बा.सं. – शृंखला-XIX-D: प्रवर्ग-I एवं प्रवर्ग-II आनुकल्पिक निवेश निधि प्रबंधक (ए.आई.एफ.) प्रमाणीकरण परीक्षा”] उत्तीर्ण करके एन.आई.एस.एम. का प्रमाणपत्र हासिल करेगा।
- (ii) प्रवर्ग-III की ए.आई.एफ. के प्रबंधक के मुख्य निवेश दल में कार्य करने वाले सहयोगी व्यक्तियों में से कम से कम एक मुख्य व्यक्ति या तो एन.आई.एस.एम. द्वारा 10 जनवरी, 2024 को जारी की गई विज्ञप्ति (सं. एनआईएसएम/सर्टिफिकेशन/सीरीज़-XIX-C:आल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर्स/2024/01) में बताई गई प्रमाणीकरण परीक्षा (“रा.प्र.बा.सं. – शृंखला-XIX-C: आनुकल्पिक निवेश निधि प्रबंधक प्रमाणीकरण परीक्षा”) उत्तीर्ण करके या फिर एन.आई.एस.एम. द्वारा 29 अप्रैल, 2025 को जारी की गई विज्ञप्ति (सं. एनआईएसएम/सर्टिफिकेशन/सीरीज़-XIX-E: कैटेगरी III आल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर्स/2025/02) में बताई गई प्रमाणीकरण परीक्षा [“रा.प्र.बा.सं. – शृंखला-XIX-E: प्रवर्ग- III आनुकल्पिक निवेश निधि (ए.आई.एफ.) प्रबंधक प्रमाणीकरण परीक्षा”] उत्तीर्ण करके एन.आई.एस.एम. का प्रमाणपत्र हासिल करेगा।
3. इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख को जितने भी ए.आई.एफ. होंगे, उन्हें 31 जुलाई, 2025 तक जरूरी प्रमाणपत्र हासिल करना होगा।
4. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगी।
5. इस अधिसूचना के प्रकाशित होते ही तारीख 10 मई, 2024 की अधिसूचना (सं. सेबी/एल.ए.डी.- एन.आर.ओ./जी.एन./2024/176) निरस्त हो जाएगी (किंतु उस अधिसूचना के निरस्त होने से पहले जो कुछ भी किया गया हो या न किया गया हो, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा)।

बबीता रायडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./191/2025-26]

## SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

## NOTIFICATION

Mumbai, the 25th June, 2025

**NOTIFICATION UNDER SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (CERTIFICATION OF ASSOCIATED PERSONS IN THE SECURITIES MARKETS) REGULATIONS, 2007.**

**F. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/249.**— In terms of regulation 3 of the Securities and Exchange Board of India (Certification of Associated Persons in the Securities Markets) Regulations, 2007 (hereinafter referred to as “the CAPS Regulations, 2007”), the Board may require, by notification, any category of associated person as defined in the Regulations to obtain requisite certification(s).

1. In terms of sub-clause (i) of clause (g) of regulation 4 of the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012, the Board had issued Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/176 dated May 10, 2024, as per which at least one key personnel, amongst the associated persons functioning in the key investment team of the Manager of an Alternative Investment Fund, shall obtain certification from the National Institute of Securities Market by passing the NISM Series-XIX-C: Alternative Investment Fund Managers Certification Examination as mentioned in the communiqué No. NISM/ Certification/ Series-XIX-C: Alternative Investment Fund Managers/2024/01 dated January 10, 2024 issued by the National Institute of Securities Market.
2. Now, in terms of Regulation 3 of the CAPS Regulations, 2007 read with sub-clause (i) of clause (g) of regulation 4 of the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012, the Board hereby notifies that:
  - (i) at least one key personnel, amongst the associated persons functioning in the key investment team of the Manager of Category I Alternative Investment Fund or Category II Alternative Investment Fund or Category I and II Alternative Investment Fund, shall obtain certification from the National Institute of Securities Market by passing either the NISM Series-XIX-C: Alternative Investment Fund Managers Certification Examination as mentioned in the communiqué No. NISM/ Certification/ Series-XIX-C: Alternative Investment Fund Managers/2024/01 dated January 10, 2024 or the NISM Series-XIX-D: Category I and II Alternative Investment Fund Managers Certification Examination as mentioned in the communiqué No. NISM/ Certification/ Series-XIX-D: Category I and II Alternative Investment Fund Managers/2025/01 dated April 29, 2025, issued by the National Institute of Securities Market.
  - (ii) at least one key personnel, amongst the associated persons functioning in the key investment team of the Manager of Category III Alternative Investment Fund, shall obtain certification from the National Institute of Securities Market by passing either the NISM Series-XIX-C: Alternative Investment Fund Managers Certification Examination as mentioned in the communiqué No. NISM/ Certification/ Series-XIX-C: Alternative Investment Fund Managers/ 2024/01 dated January 10, 2024 or the NISM Series-XIX-E: Category III Alternative Investment Fund Managers Certification Examination as mentioned in the communiqué No. NISM/ Certification/ Series-XIX-E: Category III Alternative Investment Fund Managers/2025/02 dated April 29, 2025, issued by the National Institute of Securities Market.
3. The Alternative Investment Funds, existing as on the date of publication of this notification, shall obtain requisite certification on or before July 31, 2025.
4. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
5. The Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/176 dated May 10, 2024, except for anything done or omitted to be done under the said notification, shall stand rescinded with the publication of this notification.

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./191/2025-26]